

<p>पोतलदान-पूर्व और पोतलदान-पश्चात में रुपया निर्यात ऋण के लिए भारत सरकार ब्याज समतुल्यीकरण योजना- ----- माह के लिए अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों/एक्जिम बैंक/प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों के क्षेत्रवार दावे..... राशि (रुपये में)</p>				
<p>नोट: सभी राशियों को निकटतम रुपये में पूर्णांकित किया जाए</p>				
क्षेत्र	(ए) दावा किए गए ब्याज समकारी प्रतिपूर्ति की कुल राशि	(ए) में से, अनुसूचित जाति (एससी) से संबंधित लाभार्थियों के संबंध में दावा किया गया ब्याज समकारी प्रतिपूर्ति की राशि	(ए) में से, अनुसूचित जनजाति (एसटी) से संबंधित लाभार्थियों के संबंध में दावा किया गया ब्याज समकारी प्रतिपूर्ति की राशि	(ए) में से, पूर्वोत्तर क्षेत्र (एनईआर) के निर्यातकों के संबंध में दावा किया गया ब्याज समकारी प्रतिपूर्ति की राशि
1	प्रसंस्करित कृषि/खाद्य पदार्थ			
2	हस्तकला			
3	हस्तनिर्मित कालीन (सिल्क को छोड़कर)			
4	हथकरघा उत्पाद			
5	काँच और काँच विनिर्मित वस्तुएं			
6	कच्चा जूट, यार्न			
7	अन्य जूट उत्पाद			
8	रेडीमेड कपड़े और मेडअप			
9	सभी प्रकार के कपड़े			
10	खिलौने			
11	खेल सामग्री			
12	कागज, स्टेशनरी			
13	सौंदर्य प्रसाधन और टॉयलेटरीज़स			
14	चमड़े का सामान और जूते			
15	चीनी मिट्टी की वस्तुएं और संबंध उत्पाद			
16	काँच और काँच से बनी वस्तुएँ			

17	चिकित्सा और वैज्ञानिक उपकरण				
18	ऑप्टिकल फ्रेम्स, लेंस, धूप के चश्मे आदि				
19	ऑटो अवयव / पार्ट्स				
20	साइकिल और पार्ट्स				
21	लोहे या स्टील की वस्तुएँ				
22	बेस धातुओं की विविध वस्तुएँ				
23	औद्योगिक मशीनरी, इलेक्ट्रिकल और इंजीनियरिंग सामान , 1सी इंजन, मशीन टूल्स, पार्ट्स				
24	इलेक्ट्रिकल मशीनरी और उपकरण				
25	ऊपर्युक्त के अलावा एमएसएमई द्वारा विनिर्मित सभी वस्तुए				
	कुल योग				

हम प्रमाणित करते हैं कि हमने निर्यातकों को उपरोक्त ऋण वितरित करते समय दिनांक 8 मार्च , 2022 के आरबीआई के परिपत्र संख्या डीओआर.एसटीआर.आरईसी.93/04.02.001/2021-22 में बताए गए दिशानिर्देशों का पालन किया है। विशेष रूप से, हम यह भी प्रमाणित करते हैं कि निर्यातक को अनुमोदन जारी करते समय, हमने (i) प्रचलित ब्याज दर, (ii) प्रदान की जा रही ब्याज सहायता और (iii) प्रत्येक उधारकर्ता से वसूल की जा रही शुद्ध दर प्रस्तुत की है।

(बैंक के अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का नाम और मोहर)

दिनांक :